



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1139]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 18, 2012/ज्येष्ठ 28, 1934

No. 1139]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 18, 2012/JYAISTHA 28, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

का.आ. 1364(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1097 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, स्तंभ (1) के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के सामने स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	सड़क खंड	किमी में सड़क खंड
(1)	(2)	(4)
"34	कोलकाता (विमानपत्तन क्षेत्र) से डलखोला	किमी 31.00 से किमी 452.70"

[फा. सं. एनएच-14013/4/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1097 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2012

S.O. 1364(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1097(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the Table to the said notification, under column (1), against National Highway number 34, the entries in columns (2) and (3), in respect of State of West Bengal shall be substituted, namely,-

National Highway Number	Section	Stretches in kilometer
(1)	(2)	(3)
"34"	Kolkata (Airport area) to Dalkhola.	Km 31.00 to Km 452.70"

[F.No. NH-14013/4/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note: -The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 1097(E), dated the 4th August, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

का.आ. 1365(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, स्तंभ (1) के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के सामने स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	सड़क खंड	किमी में सड़क खंड
(1)	(2)	(4)
"31	चलसा से सिलिगुड़ी से डलखोला खंड	किमी 500.00 से किमी 551.00"

[फा. सं. एनएच-14013/4/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और बाद में सं. का.आ. 1874(अ), तारीख 29 जुलाई, 2008 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2012

S.O. 1365(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 465(E), dated the 26th April 2002, namely, -

In the Table to the said notification, under column (1), against National Highway number 31 the entries in columns (2) and (3), in respect of State of West Bengal shall be substituted, namely, -

National Highway Number.	Section	Stretches in kilometer
(1)	(2)	(3)
"31	Chalsa to Siliguri to Dalkhola section	Km 500.00 to Km 551.00"

[F.No. NH-14013/4/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002 and subsequently amended *vide* number S.O. 1874(E), dated the 29th July, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

का.आ. 1366(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं.25 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"25	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2बी, सं.6 [किमी 183.200 (कोलकाता से झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 31[किमी 447.000 से किमी 470.000 तक और किमी 476.150 से किमी 551.00 तक (डलखोला से घोसपुकुर समीप सिलीगुड़ी) खंड को छोड़कर], सं.31सी [किमी 228 (सलसाबाड़ी) से किमी 254.500 (संकोष) तक खंड को छोड़कर], सं.32, सं.34 [किमी 31.00 (बरासत) से किमी 452.70 (डलखोला) तक खंड को छोड़कर], सं.60 [खड़गपुर से रानीगंज तक खंड और रानीगंज के निकट रारा-2 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर पांडवेश्वर-दुबराजपुर-सुरई को जोड़ते हुए मोरेगाम के निकट रारा 34 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग], सं.35, सं.55, सं.60ए तथा सं.117 [किमी 0.00 से किमी 7.16 (कोण एक्सप्रेसमार्ग का प्रारंभ) तथा किमी 21.80 से किमी 137 तक जोका से बक्खाली तक], सं.80 और सं.81 पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित हैं ।	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार"
-----	---	---------------------------

[फा. सं. एनएच-14013/4/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन संख्या का.आ. 453 (अ), तारीख 16 मार्च, 2012 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2012

S.O. 1366(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely,-

In the Schedule to the said notification, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely, -

(1)	(2)	(3)
"25	National Highways No. 2B, No. 6. [excluding from Km.183.200 (from Kolkata to Jharkhand/West Bengal Border)], No.31 [(excluding from Km.447.000 to Km.470.000 and from Km.476.150 to Km.551.00 (Dalkhola to Ghospukur near Siliguri)], No.31C [excluding from Km. 228.00 (Salsalabari) to Km. 254.500 (Sankosh)], No.32, No.34 (excluding from Km.31.00 (Barrasat) to Km.452.70 (Dalkhola), No.60 [portion from Kharagpur to Raniganj and the highway starting from its junction with NH 2 near Raniganj connecting Pandaveswara-Dubrajpur-Suiri and terminating at its junction with NH 34 near Moregram], No.35, No.55, No.60A and No.117 [from Km. 0.0 to km. 7.16 (beginning of Kona Expressway) and Km.21.80 to Km.137 from Joka to Bakkhali], No.80 and No.81 as are situated within the State of West Bengal.	State Government of West Bengal".

[F.No. NH-14013/4/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 453(E), dated the 16th March, 2012.

21774/12-2